FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0265 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/10/2025 17:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 06/10/2025 Date To (दिनांक तक): 08/10/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 13:39 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/10/2025 Time (समय): 12:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/10/2025 17:01:26 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-WEST, 75 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
      (b)Address(पता): POLICE THANA BAGODA
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): GORDHANRAM
   (b) Father's Name (पिता का नाम): PREMARAM JI
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 01/02/1976 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAPU KI DHANEE, BAGORA, BAGARA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	HAPU KI DHANEE, BAGORA, BAGARA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KALYAN SINGH		पिता:PEP SINGH	1. AAKUVA, SAYLA,JALORE,RAJASTHAN,IN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालौरविषय- रिश्वत राशि की मांग करने पर नही देने बाबतमहोदय जी,निवेदन प्रार्थी गोरधनराम पुत्र प्रेमाराम जाति विश्नोई उम्र 50 वर्ष निवासी हापु की ढाणी पुलिस थाना बागोडा (जालोर) की अर्ज है। कि मेरी रिश्तेदारी भागीरथ पुत्र रामचन्द्र जी जाति विश्नोई निवासी गावडी के घर परिवार मे हुई है। जो भागीरथ मेरी बच्ची का काकी ससुर है। भागीरथ ने पुलिस थाना बागोडा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.131/2025 मुलजिमान मोहनलाल वगैरा के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। तथा इनके क्रास मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2025 अनुसंधान अधिकारी A.S.I कल्याण सिंह पुलिस थाना बागोडा ने भागीरथ के सामने के मुलजिमो से मिलावट करके भागीरथ वगैरा के विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया है। उक्त दोनो प्रकरणो का अनुसंधान A.S.I कल्याण सिंह पुलिस थाना बागोडा कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट स. 132/2025 में बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र व लादुराम पुत्र ठाकराराम जातिगण विश्नोई निवासीगण गावडी इस मुकदमे मे लडाई झगडे मे साथ नही थे तो भी कल्याण सिंह कहता है। कि इन दोनो के विरूद्ध चालान करूंगा अगर उन दोनो का उक्त मुकदमे से नाम निकलवाना है। तो आप ने 35,000 रूपये पहले दे दिये थे अभी कल्याण सिंह 65,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर रहा है। अगर पैसे नही दिये तो इन दोनो को गिरफ्तार करूंगा तब दीपाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी गावडी उम्र 35 वर्ष उक्त पुलिस मुकदमे मे उसका नाम होने से व अनुसंधान अधिकारी से भय खाकर डर के मारे मेरे पास आकर दीपाराम (भागीरथ वगैरा) का कुटम्बी भाई होने से मुझे कहा कि आप हमारे रिश्तेदार हो आप पुलिस कल्याण सिंह से बात करो मे रिश्वत नही देना चाहता हुं। तथा न ही हमारे पहले कि कल्याण सिंह से कोई दुश्मनी व रंजिश है। तथा न ही इनसे कोई लेना देना है। अत प्रार्थना है। कि श्रीमान जी से कानूनी कार्यवाह करवाना चाहाता हुं।दिनांक-06.10.2025भवदीयएसडी गोरधनराम मो[redacted]गोरधनराम पुत्र प्रेमाराम जी जाति विश्नोई निवासीहापु की ढाणी तहसील बागोडा जिला जालोरएसडी दीपाराम मो. [redacted]दीपाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासीगावडी तहसील बागोडा जिला जालोरकार्यवाही पुलिसदिनांक 06.10.2025 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवाद श्री गोरधनराम पुत्र श्री प्रेमाराम जी जाति विश्नोई उम्र 50 साल निवासी ग्राम हापु की ढाणी तहसील बागोडा जिला जालोर मो.[redacted] तथा सह परिवादी श्री दीपाराम पुत्र श्री ठाकराराम जाति विश्नोई उम्र 35 साल निवासी ग्राम गावडी तहसील बागोडा जिला जालोर मो. [redacted] ने कार्यालय हाजा मे उपस्थित होकर एक हस्त लिखित हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड , परिवादी गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम मध्य सहमति पत्र एवं पुलिस थाना बागोडा मे दर्ज प्रकरण संख्या 132/2025 दिनांक 22.09.2025 विरूद्ध बाबुलाल वगैराह अन्तगर्त धारा 115(2),126(2),189(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रथम सूचना स्वप्रमाणित प्रस्तुत की। परिवादी श्री गोरधनराम ने बताया कि मेरे रिश्तेदार भागीरथ पुत्र रामचन्द्र जी जाति विश्नोई निवास गावडी के घर परिवार मे मारपीट हुई है जो भागीरथ मेरी बच्ची का काकी सुसर है भागीरथ ने पुलिस थाना बागोडा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2025 मुल्जिमान मोहनलाल वगैराह के विरूद्ध दर्ज करवाया है। इसके क्रॉस मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 132/2025 विरूद्ध बाबुलाल वगैराह में अनुसंधान अधिकारी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा ने भागीरथ के सामने के मुल्जिमानो से मिलावट करके भागीरथ वगैराह के विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया है। उक्त दोनो प्रकरणो का श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा अनुसंधान कर रहे है प्रथम सूचना रिपोर्ट 132/2025 मे बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र व लादुराम पुत्र ठाकराराम जातिगण विश्नोई निवासीगण गावडी इस मुकदमे मे लडाई झगडे मे साथ नही थे तो भी कल्याण सिंह एएसआई कहता है कि इन दोनो के विरूद्ध चालान करूंगा उन दोनो का उक्त मुकदमे से नाम निकालना है तो आपने 35000 रूपये पहले दे दिये थे अभी कल्याण सिंह एएसआई 65,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। अगर पैसे नही दिये तो इन दोनो को गिरफतार करूंगा तब दीपाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई उम्र 35 साल निवासी गावडी उक्त पुलिस मुकदमे मे उसका नाम होने से वह अनुसंधान अधिकारी से भय खाकर डर के मारे मेरे पास आकर दीपाराम भागीरथ वगैराह का कुटम्बी भाई होने से मुझे कहा कि आप हमारे रिश्तेदार हो आप श्री कल्याण सिंह एएसआई से बात करो मे रिश्वत नही देना चाहता हुं तथा न ही हमारे पहले से श्री कल्याण सिंह एएसआई से कोई दुश्मनी व रंजीश है तथा न ही इनसे कोई लेन देन है। वगैरा रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। परिवादी गोरधनराम ने उक्त रिपोर्ट स्वंय की हस्त लिखित हस्त लिपि मे लिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वंय

तथा दीपाराम के हस्ताक्षर होना एवं रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। संलग्न दस्तावेज सहमति पत्र पर भी परिवादी गोरधनराम ने स्वंय व दीपाराम के हस्ताक्ष होना बताया। उपस्थित सह परिवादी श्री दीपाराम ने परिवादी श्री गोरधनराम के उपरोक्त कथनो की ताईद की। सहपरिवादी श्री दीपाराम ने बताया कि उपरोक्त पुलिस थाना बागोडा मे दर्ज प्रकरण संख्या 132/2025 विरूद्ध बाबुलाल वगैराह मे आरोपी बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र व लाडुराम पुत्र ठाकराराम के विरूद्ध चालान नही करने तथा रिश्वती राशि मांग करने से संबंधित वार्तालाप अनुसंधान अधिकारी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा से वार्तालाप श्री गोरधनराम जी करेंगे।परिवादी श्री गोरधनराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्य एवं उसके परिवादी गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम के कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा परिवादीगण के वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आने से प्रथमत रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अलमारी मे से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उसमे एक नया मेमोरी कार्ड डालकर ऑन कर रिर्वस कर सुना गया तो मैमोरी कार्ड खाली होना पाया गया उक्त वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री गोरधनराम को सुपुर्द कर वॉईस रिकॉर्डर चलाने की समझाईस की गई तत्पश्चात कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री कालूराम कानि न.477 को कार्यालय कक्ष मे तलब किया जाकर श्री कालूराम कानि न.477 तथा उपस्थित परिवादीगण का आपस मे परस्पर परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया जाकर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री कालूराम कानि न.477 को सुपुर्द किया जाकर परिवादीगण के साथ पुलिस थाना बागोडा जिला जालोर जाकर श्री कल्याण सिंह एएसआई से वार्तालाप करवाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर लाने बाबत आवश्यक हिदायत दी गई। श्री कालूराम कानि न. 477 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम को रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करने के लिये पुलिस थाना बागोडा जिला जालोर जाकर श्री कल्याण सिंह एएसआई से वार्तालाप करवाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर लाने बाबत आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादीगण के निजी वाहन से पुलिस थाना बागोडा जिला जालोर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात बाद करवाकर सत्यापन श्री कालूराम कानि न. 477 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि निर्देशानुसार परिवादीगण के साथ भ्रनिब्यूरो जालोर से परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना बागोडा के नजदीक पहुंचे परिवादी श्री गोरधनराम ने अपने स्तर पर मालूमात किया तो श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा मे उपस्थित होना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवादी श्री गोरधनराम ने पुलिस थाना बागोडा के मुख्य गेट के बाहर से श्री कल्याण सिंह एएसआई को जरिये मोबाईल पर वार्ता कर थाने से बाहर आने हेतु कहा जिस पर मन कानि ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री गोरधनराम को सुपुर्द कर मन कानि तथा सह परिवादी श्री दीपाराम अपनी पहचान छुपाते हुये पुलिस थाना बागोडा के ईद गिर्द उपस्थित रहे। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति पुलिस एएसआई की वर्दी मे थाने से बाहर आकर परिवादी श्री गोरधनराम के निजी वाहन मे बैठा करीब 5 या 7 मिनट पश्चात वह व्यक्ति गोरधनराम के निजी वाहन से निकलकर पुन पुलिस थाना बागोडा मे चला गया। तत्पश्चात परिवादी गोरधनराम मय निजी वाहन के मन कानि तथा सह परिवादी दीपाराम के पास पहुंचा मन कानि ने परिवादी श्री गोरधनराम को पुर्व मे सुपुर्द शुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर ऑफ कर स्वंय के कब्जे मे लिया। परिवादी श्री गोरधनराम ने मन कानि को बताया कि पुलिस थाना बागोडा के बाहर श्री कल्याण सिंह एएसआई आया तथा श्री कल्याण सिंह को मेरी निजी वाहन मे बैठाया गया परिवादी श्री गोरधनराम ने श्री कल्याण सिंह एएसआई से वार्तालाप कि गई तो उसने पुलिस थाना बागोडा मे दर्ज प्रकरण सं. 132/2025 विरूद्ध बाबुलाल वगैराह मे आरोपी श्री बाबुलाल व लाडुराम के विरूद्ध चालान नही करने व मुकदमे मे मदद करने की एवज मे श्री कल्याण सिंह एएसआई ने 50,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की तथा पूर्व मे उक्त प्रकरण से संबंधित 35,000 रूपये प्राप्त करने की सहमति भी दी आदि वार्तालाप वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड होना बताया। तत्पश्चात मन कानि ने जरिये व्हाटसप कॉलिगं हालात श्रीमान को अर्ज किये थे तथा परिवादी श्री गोरधनराम से भी वार्ता करवाई गई। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000 की व्यवस्था कर लेकर दिनांक 08.10.2025 को प्रात करीब 8 एएम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने हेतु पांबद कर बागोडा मे ही रूखस्त किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर रिर्वस कर सुना गया तो उपरोक्त कथनो की ताईद होते हुये श्री कल्याण सिंह एएसआई द्वारा 50,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वीच ऑफ कर स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखा जाकर ताला बंद कर चाबी स्वंय के पास रखी।तत्पश्चात दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री गोरधनराम ने स्वंय के स्तर पर मालूमात कर श्री कालूराम कानि न. 477 को जरिये व्हाटसप कॉलिंग कर बताया कि कल दिनांक 08.10.2025 को श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा मे ही उपस्थित रहेंगे तथा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये की हमारे द्वारा व्यवस्था करना बताया। जिस पर परिवादीगण को कल दिनांक 08.10.2025 को प्रात 8 एएम पर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये लेकर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने हेतु पांबद किया। तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतत्रं गवाहान की आवश्यकता होने से इस कार्यालय के पत्रांक 1945 दिनांक

07.10.2025 के तहसीलदार तहसील कार्यालय जालोर के नाम दो स्वतत्रं गवाहान दिनांक 08.10.2025 को प्रात 8 एएम पर इस कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु उपलब्ध करवाने बाबत तहरीर विशेष वाहक श्री भरतसिंह कानि चालक न. 501 को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय जालोर के लिये रवाना किया गया ।तत्पश्चात तहसील कार्यालय जालोर गया हुआ श्री भरतसिंह कानि चालक न. 501 कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया तथा बताया कि भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर तहसील कार्यालय जालोर पहुंचा तथा उक्त तहरीर पत्रांक 1945 दिनांक 07.10.2025 को तहसीलदार जालोर को प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार जालोर ने दो स्वतंत्र गवाहान क्रमश मुनीर खान कनिष्ठ लेखाकार मो. [redacted] व श्री रामलाल कनिष्ठ सहायक मो. [redacted] तहसील कार्यालय जालोर को दिनांक 08.10.2025 को प्रात 8 एएम पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर मे उपस्थित आने हेतु पांबद कर उपस्थित आया। जिस पर दिनांक 08.10.2025 को समय 800 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय पूर्व मे पांबदशुदा कार्यालय स्टॉफ कार्यालय मे उपस्थित आये इसी दौरान परिवादी श्री गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये परिवादी श्री गोरधनराम ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये साथ लाना बताया। तत्पश्चात पूर्व मे पाबंदशुदा स्वतत्रं गवाहान श्री मुनिर खान कनिष्ठ लेखाकार व श्री रामलाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय जालोर से कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये। उपरोक्त गवाहान को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय दिया जाकर गवाहान का परिचय पूछा गया तो क्रमश श्री मुनीर खान पुत्र श्री जबरू खान जाति मुस्लमान उम्र 27 साल निवासी तखतपुरा (बारलावास) पोस्ट भेटाला पुलिस थाना बागरा तहसील व जिला जालोर हाल कनिष्ठ लेखाकार तहसील कार्यालय जालोर जिला जालोर मो. [redacted] तथा श्री रामलाल पुत्र श्री झुंझाराम जाति मेघवाल उम्र 37 साल निवासी ग्राम भागली सिंदलान पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय जालोर जिला जालोर मो. [redacted] होना बताया। तत्पश्चात उपरोक्त गवाहान को उपस्थित आने मे मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर उपस्थित परिवादी श्री गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम का परस्पर परिचय करवाया गया। उपरोक्त गवाहान को परिवादी गोरधनराम तथा सह परिवादी श्री दीपाराम द्वारा दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया तथा पढाया गया। रिपोर्ट के परिप्रेक्ष मे दोनो गवाहान ने दोनो परिवादीगण से विस्तृत पुछताछ कि जाकर तसल्ली की। दोनो गवाहान को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गोरधनराम तथा श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा मे मध्य डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर रिर्वस कर मुख्य अंश सुनाये गये सुन समझ दोनो गवाहान ने भी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा द्वारा 50,000 रूपये रिश्वती राशि मांग करने की पुष्टि होना बताया। समय अभाव के कारण आईन्दा फर्द ट्रासस्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। जिस पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के रूबरू उपस्थित सह परिवादी दीपाराम के परिवादी श्री गोरधनराम द्वारा आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री गोरधनराम ने अपने पहने हुये पेन्ट की जेब से निकालकर 500,500 रूपये के भारतीय प्रचलित मुद्रा के 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। उक्त राशि की गणना की जाकर प्रत्येक नोट के नम्बर फर्द पेशकशी मे अंकित करवाये गये तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार एएसआई मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफथलिन पाउडर की शिशि मंगवायी जाकर श्री भरतसिंह कानि चालक न 501 को सुपुर्द करवायी गयी। तत्पश्चात उपरोक्त 500,500 रूपये के सभी नोटो को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरत सिंह कानि चालक न 501 से प्रत्येक नोट पर हल्का हल्का फिनोफथलिन पाउडर लगवाया गया सह परिवादी श्री दीपाराम की जामा तलाशी मुनीर खान व परिवादी श्री गोरधनराम की जामा तलाशी श्री रामलाल से लिवाई जाकर उनके पास कोई आपत्तिजनक राशि, वस्तु, दस्तावेज इत्यादी नही रहने दिये गये अपने अपने मोबाईल पास मे रहने दिये गये तत्पश्चात फिनोफथलिन पाउडर युक्त रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये श्री भरत सिंह कानि चालक न 501 से परिवादी श्री गोरधनराम के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाई जाकर हिदायत दी गई की उक्त राशि को रास्ते मे हाथ नही लगावे एवं छुये नही तथा आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा द्वारा मांगने पर ही उक्त राशि निकाल कर उसे देवें राशि देने से पूर्व तथा पश्चात पश्चात आरोपी से हाथ नही मिलावे अभिवादन भी आवश्यकता होने पर दुर से ही हाथ जोड कर नमस्कार / अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की श्री कल्याण सिंह एएसआई द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात उक्त राशि को कहां रखता है या छुपाता है विशेष इस बात का विशेष ध्यान रखें। आरोपी कल्याण सिंह एएसआई द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुये अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन मांगी लाल राठोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मे मोबाईल न [redacted] पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्य को देखते हुये गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात कार्यालय हाजा के एक पारदर्शी गिलास मे साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो उक्त गिलास का घोल रंगहीन होना स्वीकार किया गया उक्त गिलास मे श्री भरत सिंह कानि चालक न 501 के हाथों की अंगुलियां व अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया इस प्रकार सभी उपस्थित गण को आरोपी द्वारा रिश्वत नोटो को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे हाथ धुलाने पर धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो

जायेगा इस प्रकार प्रक्रिया अनुसार फिनोफथलिन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण कि क्रिया प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांती समझाया गया। दृष्टांत में काम मे लि गई प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास व उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस नोटो को रखकर फिनोफथलिन पाउडर लगवाया गया था फिनोफथलिन पाउडर कि शिशि को पुन मालखाना मे रखवाया जाकर ताला लगवाया गया ट्रेप कार्यवाही मे उपयोग मे आने वाले समस्त उपकरणो की पानी व साबुन से दो दो धुलवाये जाकर पुन ट्रेप बॉक्स मे रखे गये। परिवादीगणो के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगणो की आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक राशि, वस्तु, दस्तावेज इत्यादी नही रहने दिये गये अपने अपने मोबाईल पास मे रहने दिये गये। गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगणो को हिदायत दी गई की परिवादी श्री गोरधनराम एवं श्री कल्याण सिंह एएसआई के मध्य होने वाली रिश्वती राशि लेनदेन को देखने का तथा होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। उपरोक्त कार्यवाही की श्री करणीदान कानि न 236 से विडियोग्राफी करवाई गई। फिनोफथलिन पाउडर लगाने वाले श्री भरत सिंह कानि चालक न 501 को कार्यालय हाजा मे ही छोडा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी मुर्तिब की जाकर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री गोरधनराम सह परिवादी श्री दीपाराम ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि 477 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री गोरधनराम मे निजि वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, मोहनलाल हैड कानि 93, श्री करणीदान कानि 236, श्री सुरेन्द्र सिगड कानि 232 मय कार्यालय हाजा का विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री लेपटॉप प्रिन्टर प्रकरण से संबंधित पत्रावली के निजि वाहन से तथा मन मांगीलाल राठोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा श्री आदुराम कानि न 142 के निजि वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से पुलिस थाना बागोडा के लिये रवाना हुआ। एवं परिवादी श्री गोरधनराम सह परिवादी श्री दीपाराम ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि 477 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री गोरधनराम मे निजि वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई, मोहनलाल हैड कानि 93, श्री करणीदान कानि 236, श्री सुरेन्द्र सिगड कानि 232 मय कार्यालय हाजा का विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री लेपटॉप प्रिन्टर प्रकरण से संबंधित पत्रावली के निजि वाहन से तथा मन मांगीलाल राठोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा श्री आदुराम कानि न 142 के निजि वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर पुलिस थाना बागोडा के नजदीक खेतलाजी मन्दिर के पास पहुंचे। समस्त निजि वाहनो को रूकवाकर परिवादी श्री गोरधनराम सह परिवादी श्री दीपाराम तथा ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि न 477 व श्री सुरेन्द्र सिगड कानि न. 232 को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के श्री कालूराम कानि न. 477 को आवश्यक हिदायत दी गई की रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री गोरधनराम को सुपुर्द करे तथा प्रकरण मे गोपनीय बरतने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री गोरधनराम को आवश्यक हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि के लेनदेन के पश्चात यदि लेनदेन पुलिस थाना बागोडा मे हो तो थाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी को देखते हुये अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन मांगीलाल राठोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यो को देखते हुये गोपनीय ईशारा करे तथा यदि लेनदेन स्वंय के निजि वाहन मे हो तो लेनदेन के पश्चात निजि वाहन का दो बार होर्न बजा कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात परिवादी के निजि वाहन से रिश्वती राशि आदान प्रदान हेतु पुलिस थाना बागोडा कि तरफ रवाना किया तथा परिवादी के पिछे पिछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान तथा ब्यूरो जाप्ता को आवश्यक हिदायत दी जाकर पुलिस थाना बागोडा के नजदीक पहुंच अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के गोपनीय ईशारे मे व्यस्त हुए। आज दिनांक 08.10.2025 को समय 0139 पी.एम. पर परिवादी श्री गोरधनराम ने रिश्वती राशि के लेन-देन के पश्चात पुलिस थाना बागोड़ा के मैन गेट के बाहर पोस्ट ऑफिस बागोड़ा के पास रोड़ पर खड़ी परिवादी स्वयं की गाड़ी का हॉर्न दो बार बजाकर के गोपनीय ईशारा किया। उसी दौरान मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री कालूराम कानि. नं. 477 को जरिए वाट्सअप कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन बाबत् पुछा तो श्री कालूराम कानि. नं. 477 ने बताया की लेन-देन हो चुका है, आप शीघ्र आ जाओ जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा ब्यूरो स्टाफ के शेष सदस्यगण शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी श्री गोरधनराम के पास पहूंचे तथा पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। सह-परिवादी श्री दीपाराम भी वहीं पास खड़ा था। उसी दौरान परिवादी श्री गोरधनराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री कल्याणसिंह एएसआई को मैने टेलिफोन कर पुलिस थाने के सामने गेट पर बुलाया, जिस पर श्री कल्याणसिंह एएसआई पुलिस थाने से बाहर आकर मेरी गाड़ी मे बैठ गया। श्री कल्याणसिंह के मांगने पर मैने पूर्व मे तय सुदा रिश्वत राशि 50,000/- रुपये उसे दिये जो उसने उक्त रुपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे एवं पुनः थाने के अन्दर की तरफ रवाना हुआ। श्री कल्याणसिंह एएसआई थाने के मैन गेट पर पहूंचा ही था उसी समय मैने मेरी गाड़ी का हॉर्न बजाकर आपको गोपनीय ईशारा किया। परिवादी श्री गोरधनराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वती राशि 50,000/- रुपये अभी भी श्री कल्याणसिंह एएसआई के पहनी हुई वर्दी के दाहिनी जेब मे है। परिवादी श्री गोरधनराम ने पुलिस थाना बागोड़ा के मैन गेट

के आगे एक वर्दीधारी खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि वह व्यक्ति श्री कल्याणसिंह एएसआई है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री गोरधनराम व सह-परिवादी श्री दीपाराम एवं ब्यूरो जाब्ता के रवाना होकर उक्त वर्दीधारी व्यक्ति के पास पहूंचा तथा उक्त वर्दीधारी व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान स्वतंत्र गवाहन, परिवादी/सह-परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री कल्याणसिंह एएसआई पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर होना बताया। तत्पश्चात श्री कल्याणसिंह एएसआई का दाहिने हाथ कलाई से उपर श्री कालूराम कानि. नं. 477 एवं बांया हाथ कलाई से उपर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 से पकड़वाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। उसी दौरान पुलिस थाना बागोड़ा के मैन गेट पर करीबन 30-40 व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा होने के कारण एवं यातायात साधनों का आवागमन बाधित होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए श्री कल्याणसिंह एएसआई को हमरा लेकर मय समस्त हमरायान के वहां से रवाना होकर पुलिस थाना बागोड़ा के अन्दर थानाधिकारी कक्ष के पास पहूंचे जहां थानाधिकारी श्री हुकमाराम उपस्थित मिले जिनसे अग्रीम कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर श्री हुकमाराम थानाधिकारी ने स्वयं का कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाया जिस पर दस्तयाब सुदा श्री कल्याणसिंह एएसआई को थानाधिकारी कक्ष मे लाया गया। उसी दौरान ब्यूरो जाब्ता के श्री करणीदान कानि. नं. 236 को राजकीय विडियो कैमरा जिसमे नया मैमोरी कार्ड डलवाया गया था को ऑन करवाकर श्री करणीदान कानि .नं. 236 को उक्त कार्यवाही मे विडियोग्राफी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व सह-परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता की उपस्थिति मे अग्रीम कार्यवाही करते हुए पुनः उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री पेपसिंह उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम आकुवा पुलिस थाना सायला जिला जालोर हाल सहायक उप-निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर, मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया तथा श्री कल्याणसिंह एएसआई को परिवादी श्री गोरधनराम से अभी-अभी प्राप्त की गई रिश्वत राशि 50,000/- रुपये के बारे मे पुछा तो उसने बताया कि उक्त रुपये मैने गोरधनराम को उधार दिए हुए वापस प्राप्त किये है, उपस्थित परिवादी श्री गोरधनराम ने आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि साहब यह झूठ बोल रहा है, पुलिस थाना बागोड़ा मे हमारे विरुद्ध परस्पर मुकदमे दर्ज है। जिसमे प्रकरण संख्या 132/2025 मे प्रकरण के अनुसंधान मे मदद करने तथा आरोपी दो सरकारी कर्मचारीयों का चालान नहीं करने की एवज मे 50,000/- रुपये रिश्वत राशि मेरे से आज अभी प्राप्त किये है। जिस पर आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई को पुनः तसल्ली देकर पुछने पर उसने बताया कि साहब मेरे पास प्रकरण संख्या 132/2025 अनुसंधानाधीन है जिसमे आरोपी दो सरकारी कर्मचारीयों के विरुद्ध चालान नहीं करने की एवज मे मैने 50,000/- रुपये इनसे प्राप्त किये है। तत्पश्चात आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई की जामा तलाशी गवाह श्री मुनीर खान से लिरवाई गई तो आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के पहने हुए वर्दी के पेन्ट की दाहिनी जेब मे नोटों की एक गड्डी होना पाई गई, जिसे निकलवाया जाकर नोटो को गिनवाये गये तो पाँच सौ पाँच सौ रुपये के कुल 100 नोट कुल राशि 50,000/- रुपये होना पाई गई। उपस्थित गवाह श्री मुनीर खान को पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी की प्रति उपलब्ध करवाई जाकर बरामदा रिश्वती राशि दूसरे गवाह श्री रामलाल को सुपुर्द करवाकर नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो नोटो के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहु होना पाया गया। जिस पर उक्त बरामदा रिश्वती राशि 50,000/- रुपयों को गवाह श्री रामलाल को सुरक्षार्थ सुपुर्द करवाकर उसके पास रहने दी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पुलिस थाना से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर हमरा ट्रेप बॉक्स मे से प्लास्टिक के पारदर्शी दो गिलासें निकालकर इन गिलासों मे पीने का साफ पानी भरवाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे समस्त उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया, जिस पर उक्त गिलास के घोल मे आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के दाहिने हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को डुबो-डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने उक्त गिलास के घोल का रंग गुलाबी होना बताया। तत्पश्चात उक्त गुलाबी रंग के धोवन को काँच की साफ दो शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चेपों पर मार्क आरएच-01 व आरएच-02 अंकित किया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक की पारदर्शी दुसरी गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे समस्त उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात उक्त तैयार घोल मे आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबो-डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाब हो गया, जिसे समस्त उपस्थितगण ने धोवन का रंग गुलाबी आना बताया। उक्त गुलाबी धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चेपों पर मार्क क्रमशः एलएच-01 एवं एलएच-02 अंकित किया गया। तत्पश्चात बरामदा रिश्वती राशि 50,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री रामलाल को सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी उक्त रिश्वत राशि 50,000/- रुपयों को पुनः फर्द पेशकशी मे अंकित नंबरों से मिलान करवाया गया तो नोटो के नंबर हुबहु पाये गये, नोटो के नंबर निम्नानुसार है:-1. एक पांच सौ रूपये का

नम्बरी नोट –1 NQ 8284072. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट -5 CK 6694713. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट -0 BS 5923694. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 UM 7839885. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 HH 0875266. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 NM 0394377. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 WL 7671938. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 CE 1589309. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-6 ER 94431010. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 LQ 71686611. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 US 13234512. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 GH 90630613. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 GH 46551014. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 BN 98675415. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 WP 36497916. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 TG 25482117. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 UE 45332918. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 HL 37663019. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-6 MM 17080120. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 TA 10248521. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 DV 95134522. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 VA 09956123. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-2 QT 43778624. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 AB 41365325. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 AB 41365426. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट- 1 PB 39724327. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 NV 45766628. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-9 UR 17880029. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 FP 03131530. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 BU 48374831. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 LL 13105432. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 RW 38590733. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 HF 45925334. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 PF 61898835. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 WB 18820436. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 BQ 13931937. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 CW 67481538. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-9 FU 59312739. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 FC 94154840. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 LG 34661141. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 DG 53838342. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 CB 15670943. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 HC 70748244. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3HL 00204745. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 KS 80914846. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 EA 18668747. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 UK 15501648. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-6 TV 79658349. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 RN 00933850. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 UB 59698751. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 NG 06698452. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 GB 96890653. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 HE 54451654. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 HE 54451755. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-6 QD 47718556. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 RQ 95615657. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-9 EA 65665158. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 DR 79526059. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 LM 39244360. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 TK 47381461. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 PK 41575762. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 EW 39412863. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 RK 83236764. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 AA 90539265. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-2 QT 99705866. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 CK 19621567. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 PB 90239468. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 HQ 65438369. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 UQ 18998770. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 PH 98543671. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 FW 94764072. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 FE 99224573. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 GM 87284874. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 DA 62382275. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 UC 80808876. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 NS 95393277. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 LG 84205578. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 EL 71097479. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 PR 79447780. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-2 DH 68193881. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 GM 32614982. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 PW 68449583. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 CG 53909384. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-6 RM 17719685. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 EP 47904286. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 DL 44117687. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 NT 98785988. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 PG 68401789. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-7 PW 26614190. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-9 HT 42298791. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 AH 85695692. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 DK 89928593. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 FV 09717294. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-1 RE 94263895. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-8 QT 10662796. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-0 CC 07732797. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-5 EG 96504898. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-3 HH

48215799. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-4 QT 332647100. एक पांच सौ रूपये का नम्बरी नोट-9 HK 017917उपरोक्त रिश्वती राशि कुल 50,000/- रुपयों को एक सफेद रंग के लिफाफे मे डालकर उक्त रिश्वती राशि लिफाफे सहित एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहविल एसीबी लिया गया। आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के जामा तलाशी के दौरान उनके पहनी हुई वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब मे कुल 16,350/- रुपये पाये गये। उक्त राशि के बारे मे पुछने पर आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई ने बताया इनमे से 9,000 रुपये मेरे गांव के मदन सुथार से उधार लिये थे तथा 10,000/- रुपये मेरे गांव मे किसी व्यक्ति को चारा बेचा था उसके थे, इनमे से 2650/- रुपये मैने खर्च कर दी जिनमे से 7,350/- रुपये शेष बचे कुल मेरे पास 16,350 रुपये शेष रहे थे। उक्त राशि 16350/- रुपयों के बारे मे आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक होने से उक्त राशि पुनः लौटाई गई। आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के पास एक मोबाईल फोन मिला जिसका अवलोकन किया गया उक्त मोबाईल Redmi Note 8 Pro कंपनी का जिसके IMEI1 [redacted] व [redacted] होना पाया गया जिसमे एक एयरटेल कंपनी की सीम जिसके कॉलिंग नंबर [redacted] लगी हुई पाई गई। उक्त मोबाईल के वाट्सअप कॉल हिस्ट्री का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री गोरधनराम के मोबाईल नंबर [redacted] से वक्त 01.36 पी.एम. पर आरोपी के मोबाईल नंबर [redacted] पर 41 सेकेण्ड वार्ता होना पाया गया, जिस पर उक्त वाट्सअप कॉलिंग का स्क्रिन-शॉट लिया जाकर लेपटॉप के माध्यम से प्रिन्ट आउट निकालकर उस पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त मोबाईल प्रकरण मे वांछित होने से बतौर वजह सबूत तहविल एसीबी लिया जाकर वास्ते अनुसंधान खुली हालात मे रखा गया। तत्पश्चात आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के वक्त वाका पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वती राशि 50,000/- रुपये बरामद हुए है, उक्त पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई को पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट-शर्ट उपलब्ध करवाया जाकर वक्त वाका पहनी हुई वर्दी पेन्ट-शर्ट उतरवाया गया तथा उपलब्ध करवाए गए पेन्ट शर्ट पहनाया गया। तत्पश्चात पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मेसे एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक की गिलास निकालकर उसमे पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे समस्त उपस्थितगण ने रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई के वक्त वाका पहनी हुई वर्दी की पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, पेन्ट की उक्त जेब को उलटवाकर प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल मे डुबो-डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे समस्त उपस्थितगण ने घोल का रंग गुलाबी आना बताया। उक्त गुलाबी रंग के धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाया गया तथा संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी-01 व पी-02 अंकित किया गया। तत्पश्चात जिस वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई थी उक्त पेन्ट को हवा व धुप मे सुखाया जाकर पेन्ट की दाहिनी जेब के अन्दर की तरफ संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर तहविल एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री कल्याणसिंह एएसआई को पुलिस थाना बागोड़ा मे दर्ज प्रकरण संख्या 131/2025 दिनांक 22.09.2025 तथा 132/2025 दिनांक 22.09.2025 की पत्रावली के संबंध मे पुछा गया तो आरोपी ने उक्त दोनो प्रकरणों की पत्रावली पुलिस थाना के स्वागत कक्ष मे होना बताया जिस पर उक्त दोनो पत्रावली पुलिस थाना बागोड़ा के श्री भंवरलाल कानि. नं. 84 से मंगवाई जाकर अवलोकन किया गया तो प्रकरण संख्या 131/2025 दिनांक 22.09.2025 परिवादी पक्ष द्वारा दर्ज करवाना पाया गया तथा प्रकरण संख्या 132/2025 दिनांक 22.09.2025 परिवादी पक्ष के विरुद्ध दर्ज करवाना पाया गया, उक्त दोनो प्रकरण परस्पर दर्ज करवाये जाना पाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो प्रकरणों की मूल पत्रावलीयों के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर दोनो पत्रावलीयों की फोटो प्रतियां करवाई गई तो प्रकरण संख्या 131/2025 मे कुल 22 वर्क होना तथा प्रकरण संख्या 132/2025 मे कुल 08 वर्क होना पाये गये उक्त फोटो प्रतियों को उपस्थित थानाधिकारी श्री हुकमाराम निरीक्षक पुलिस से प्रमाणित करवाई जाकर प्रमाणित प्रतियां शामिल पत्रावली की गई तथा दोनो प्रकरण जैर अनुसंधान होने के कारण अनुसंधान प्रभावित नहीं हो इस वजह से दोनो प्रकरणों की मूल अनुसंधान पत्रावलीयां उपस्थित श्री हुकमाराम निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर को सुपुर्द की गई। उपरोक्त कार्यवाही में लिये गये प्रादर्शों एवं बरामद की गई रिश्वती राशी को सील मोहर करने में प्रयुक्त पीतल की सील मोहर का नमूना अंकित किया गया। उक्त फर्द हाजा सोहार्दपूर्ण वातावरण वक्त 510 पीएम पर सम्पन्न की गई उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही मे गवाहान की उपस्थिति मे परिवादी श्री गोरधनराम की निशांदेही पर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया जाकर फर्द नजरी नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया जाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री मुनीर खान व रामलाल के रूबरू उपस्थित आरोपी श्री कल्याण सिंह

एएसआई के पुलिस थाना बागोडा मे स्थित रहवासी बैरक की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये । दौराने खाना तलाशी सुरेन्द्र सिगड कानि 232 के मोबाईल से विडियो ग्राफी करवाई गई । परिवादी श्री गोरधनराम सह परिवादी श्री दीपाराम ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि 477 को भ्रनिब्यूरो जालोर कार्यालय परिवादी के निजि वाहन से पहुंचने की हिदायत देकर रवाना किया गया तत्पश्चात मन मांगीलाल राठोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा श्री आदुराम कानि न 142 निजि वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई , मोहनलाल हैड कानि 93, श्री करणीदान कानि 236 , श्री सुरेन्द्र सिगड कानि 232 मय दस्तयाब शुदा आरोपी कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा मय कार्यालय हाजा का विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री लेपटॉप प्रिन्टर प्रकरण से संबंधित पत्रावली , डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व प्रकरण से संबंधित फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के दोनो हाथों के अंगुलियो व अगुंठे का लिया गया धोवन क्रमश मार्क आर एच -1,आर एच-2,एल एच-1, एल एच-2,पी-1,पी-2 बरामद रिश्वती राशि 50,000 रूपये मार्क – एम , आरोपी का पहना हुआ पेन्ट पैकेट मार्क-पी सभी शिल्ड शुदा व आरोपी का मोबाईल खुली हालत में के निजि वाहन से पुलिस थाना बागोडा से आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के रहवासी मकान की खाना तलाशी हेतु ग्राम आकुवा के लिये रवाना हुआ ।तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा श्री आदुराम कानि न 142 निजि वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई , मोहनलाल हैड कानि 93, श्री करणीदान कानि 236 , श्री सुरेन्द्र सिगड कानि 232 मय दस्तयाब शुदा आरोपी कल्याण सिंह एएसआई के निजी वाहन से रवानाशुदा ग्राम आकुवा में स्थित आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा के रहवासी मकान पर पहुंचा । मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमरा स्वतंत्र गवाहान के दस्तयाब शुदा आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई की उपस्थिति में आरोपी कल्याण सिंह के नियमानुसार रहवासी मकान की खानातलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया खाना तलाशी के दौरान श्री करणीदान कानि न. 236 से विडियोग्राफी करवाई गई । ताबाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त समस्त हमरायान के मय पत्रावली तथा मालखाना आईटम से निजि वाहनो से ग्राम आकुवा से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिये रवाना हुआ ।तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाहान श्री मुनीर खान व श्री रामलाल तथा श्री आदुराम कानि न 142 निजि वाहन से तथा ब्यूरो जाप्ता श्री रविन्द्र कुमार एएसआई , मोहनलाल हैड कानि 93, श्री करणीदान कानि 236 , श्री सुरेन्द्र सिगड कानि 232 मय दस्तयाब शुदा आरोपी कल्याण सिंह एएसआई मय परिवादी श्री गोरधनराम सह परिवादी श्री दीपाराम ब्यूरो जाप्ता श्री कालूराम कानि 477 निजि वाहन से मय कार्यालय हाजा का विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री लेपटॉप प्रिन्टर प्रकरण से संबंधित पत्रावली , डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व प्रकरण से संबंधित फर्दाथ मे मुताबिक मालखाना आईटम आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के दोनो हाथों के अंगुलियो व अगुंठे व पहनी हुई पेन्ट का लिया गया धोवन क्रमश मार्क आर एच -1,आर एच-2,एल एच-1, एल एच-2,पी-1,पी-2 बरामद रिश्वती राशि 50,000 रूपये मार्क – एम , आरोपी का पहना हुआ पेन्ट पैकेट मार्क-पी सभी शिल्ड शुदा के निजि वाहन से भ्रनिब्यरो जालोर पहुंचा दस्तयाब शुदा आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई की निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि न.477 व श्री करणीदान कानि न. 236 को मामूर किया गया । प्रकरण से संबंधित मालखाना आईटम आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के दोनो हाथों के अंगुलियो व अगुंठे का लिया गया धोवन क्रमश मार्क आर एच -1,आर एच-2,एल एच-1, एल एच-2,पी-1,पी-2 बरामद रिश्वती राशि 50,000 रूपये मार्क – एम , आरोपी का पहना हुआ पेन्ट पैकेट मार्क-पी सभी शिल्ड शुदा व आरोपी का मोबाईल खुली हालत में को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार एएसआई को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई ।तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं ब मौजूदगी परिवादीगण के दिनांक 06.10.2025 को परिवादीगण व आरोपी श्री कल्याण सिंह के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री सुरेन्द्र कानि. नं. 232 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर दोनों सीडीयों को क्लोन/कॉपी मानते हुए खुली रखी गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सेव फाईल की हैश वैल्यू निकाली जाकर मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकाला जाकर मैमोरी कार्ड के कवर में डाल कर उक्त मैमोरी कार्ड को एक लिफाफे मे रखकर एक सफैद कपडे की थैली में उक्त मैमोरी कार्ड को डालकर जरिये फर्द जब्ति के जब्त कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर मार्क D अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये।तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादीगण के दिनांक 08.10.2025 को परिवादीगण व आरोपी श्री कल्याण सिंह के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के

सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर दोनों सीडीयों को क्लोन/कॉपी मानते हुए खुली रखी गई। आरोपी श्री कल्याण सिंह व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादीगण द्वारा करवाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप की सेव फाईल की हैश वैल्यू निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकाला जाकर मैमोरी कार्ड के कवर में डाल कर उक्त मैमोरी कार्ड को एक लिफाफे मे रखकर एक सफैद कपडे की थैली में उक्त मैमोरी कार्ड को डालकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर मार्क L अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये।तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा आरोपी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री पेप सिंह जाति राजपूत उम्र 54 साल निवासी आकुवा पुलिस थाना सायला जिला जालोर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस , पुलिस थाना बागोडा जिला जालौर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) से नियमानुसार आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री कल्याण सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री रामलाल कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो पहने हुए कपडे के अलावा उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाए गए तथा नहीं ब्यूरो कब्जा ली गई ।तत्पश्चात श्री आदुराम कानि न 142 तथा श्री कालुराम कानि न 477 मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा को राजकीय चिकित्सालय जालौर मे स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात मे सुरक्षार्थ जमा करवाने हेतु अलग अलग तहरीर देकर जरिये निजि वाहन से रवाना किया गया । रवानाशुदा श्री आदुराम कानि न. 142 व श्री कालुराम कानि न. 477 जरिये निजि वाहन से भ्रनिब्यूरो जालोर से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय जालोर पहुंचे गिरफतारशुदा आरोपी श्री कल्याण सिंह का राजकीय चिकित्सालय जालोर मे स्वास्थ्य परिक्षण करवाकर परिक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ताबाद रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर पहुंचे गिरफतारशुदा आरोपी श्री कल्याण सिंह को कोतवाली थाना जालोर की हवालात मे जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये परिक्षण रिपोर्ट प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात वक्त 0815 ए.एम. पर राजकीय विडियो कैमरे से श्री करणीदान कानि न.236 के सहयोग से दौराने ट्रेप कार्यावाही बरामदगी एवं आरोपी के रहवासी बैरक एवं आरोपी के रहवासी निवास स्थान ग्राम आकुवा की खाना तलाशी के दौरान करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड को श्री करणीदान कानि न. 236 से विडियो कैमरे से बाहर निकलवाया जाकर कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर के माध्यम से मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड विडियो क्लीप की हैश वैल्यू निकलवाई गई तथा मूल मैमोरी कार्ड जरिये फर्द जब्ति के जब्त किया जाकर मूल मैमोरी कार्ड को कार्ड कवर मे रखकर कार्ड कवर को लिफाफे मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली को शील मोहर किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा थैली पर मार्क V अंकित किया गया । तत्पश्चात श्री रविन्द्र कुमार एएसआई मय श्री कालुराम कानि न. 477 को निजि वाहन से पुलिस थाना कोतवाली मे बंद हवालात आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई को लाने हेतु रवाना किया गया था जो आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर हाजिर आये । गिरफ्तार शुदा आरोपी की निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि न 477 को मामूर किया गया । ताबाद उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के विरूद्ध अर्न्तगत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1963-64 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा जरिये ईमेल ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई एवं आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रिमाण्ड फार्म मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान फदार्थ के मुताबिक मालखाना आईटम क्रमश आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई के दोनो हाथों के अंगुलियो व अगुंठे व पहनी हुई पेन्ट का लिया गया धोवन क्रमश मार्क आर एच -1,आर एच-2,एल एच-1, एल एच-2,पी-1,पी-2 बरामद रिश्वती राशि 50,000 रूपये मार्क – एम , आरोपी का पहना हुआ पेन्ट पैकेट मार्क-पी सभी शिल्ड शुदा श्री रविन्द्र कुमार एएसआई को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया था एवं प्रकरण मे रिश्वत राशि मांग सत्यापन मार्क D , लेन देन वार्तालाप मार्क L एवं कार्यवाही के दौरान करवाई गई विडियोग्राफी मार्क V के मूल मैमोरी कार्ड सफेद कपडे की थैलीयो मे शील्ड शुदा मार्क क्रमश D,L,V को भी श्री रविन्द्र कुमार एएसआई को दुरस्त हालत मे सुपुर्द कर सम्पूर्ण मालखाना आईटम का मालखाना रजिस्ट्रर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा गवाहान व परिवादीगण की आवश्यकता नही होने से रूखस्त किया गया ।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि से पाया गया कि आरोपी श्री कल्याण सिंह एएसआई पुलिस थाना बागोडा द्वारा परिवादी श्री गोरधनराम से उसके रिश्तेदार के विरूद्ध थाना बागोडा मे दर्ज प्रकरण संख्या 132/2025 मे दो व्यक्तियो के चालान नही करने व प्रकरण मे मदद करने की एवज मे 35,000 हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व मे प्राप्त कर 65,000 रूपये रिश्वत राशि की और मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था जिस पर दिनांक 06.10.2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के आरोपी द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर लेना तय किया जिस पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो दिनांक 08.10.2025 को परिवादी श्री गोरधनराम से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 50,000 रूपये लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर रिश्वती राशि बरामद की गई । आरोपी श्री कल्याण

सिंह पुत्र श्री पेपसिंह जाति राजपूत उम्र 54 साल निवासी आकुवा पुलिस थाना सायला जिला जालोर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस , पुलिस थाना बागोडा जिला जालोर के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।अत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है ।भवदीय(मांगीलाल राठौड़)अति. पुलिस अधीक्षक,भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर..........कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) में आरोपी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री पेपसिंह जाति राजपूत उम्र 54 साल निवासी आकुवा पुलिस थाना सायला जिला जालोर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस , पुलिस थाना बागोडा जिला जालोर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 355 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1502-05 दिनांक 09.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली, 2.- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3- पुलिस अधीक्षक, जिला जालोर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KUYARAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0?.10/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)